Telephone – 2225634 Fax – 0612 – 2221056

प्रधान महालेखाकार (ले0 एवं ह0) का कार्यालय, बिहार, पटना

OFFICE OF THE PR. ACCOUNTANT GENERAL (A&E), BIHAR, PATNA

पत्रांक/No. Admn-I/(A&E)/Covid-19/20-21/C- 301

दिनांक/ Date: 18.03.2021

कार्यालय आदेश

कोविड–19 महामारी से बचाव हेतु सभी कार्यालय कर्मियों को स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा समय–समय पर जारी दिशानिर्देशों का अनुपालन आवश्यक है । इस कार्यालय द्वारा भी सभी कर्मियों को कोविड–19 से बचाव हेतु सुरक्षात्मक उपायों यथा; सामाजिक दूरी का अनुपालन, मास्क तथा सैनेटाइजर का उपयोग करने का निदेश दिया जाता रहा है । परंतु प्रायः ऐसा देखा जा रहा है कि कई कर्मी सुरक्षात्मक उपायों का अनुपालन नहीं कर रहे है तथा समूह में कार्यालय परिसर में भ्रमण कर रहे हैं, जो वर्तमान के संक्रमण काल में एक गंभीर चूक है एवं जो कार्यालय के दैनिक कार्यकलापों को प्रभावित कर सकता है ।

वर्त्तमान समय में कोविड संक्रमण के पुनः तेजी से प्रसार के कारण सभी कर्मियों को पुनः निदेशित किया जाता है कि वे कार्यालय अवधि में कोविड के अन्य सुरक्षात्मक उपायों के साथ मास्क का प्रयोग अवश्य करें तथा कार्यालय अवधि के पश्चात भी सुरक्षात्मक उपायों के अनुपालन का प्रयास करें ।

यदि कोई कर्मी कार्यालय अवधि में अनावश्यक घुमते हुए तथा बिना मास्क के पाए जाएँगें तो उनके विरूद्ध विहित प्रावधानों के तहत अनुशासनात्मक कार्रवाई की जाएगी ।

ह०/-

वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन)

प्रतिलिपिः–

1. प्रधान महालेखाकार (ले. एवं हक.) का सचिवालय
2. वरीय उप महालेखाकार (प्रशासन/जी.ई.) का सचिवालय
3. वरीय उप महालेखाकार (पेंशन/फंड) का सचिवालय
4. वरीय उप महालेखाकार (लेखा/भी.एल.सी/कार्य) का सचिवालय
5. सभी वरीय लेखा अधिकारी
6. वरीय लेखा अधिकारी/जी.डी. से अनुरोध है कि वे कार्यालय में सभी कार्यस्थलों पर Sanitization का कार्य नियमित अंतराल पर कराना सूनिश्चित करेंगे ।
7. कल्याण अनुभाग से अनुरोध है कि वे प्रवेश द्वार पर Thermal Scanning तथा Sanitizer की उप्लब्धता तथा उपयोग सुनिश्चित करेंगे ।
8. सूचना पट्ट

वरीय लेखा अधिकारी/प्रशासन–1